दि. 28.5.25 को

28.5.25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप। प्रार्थना पत्र धारा 151 212 RT ??? स्वीकार किया जाता है, विद्वान निर्णय पुस्तक से मिलान किया जाकर प्रा. पत्र निस्तारित किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल मूल वाद के साथ शामिल होवे।

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 5/2012

तारीख दायरा 14.02.2012

उनवान

लालचन्द पुत्र द्वारकालाल जाति किराड निवासी ग्राम जोगडी तहसील सांगोद जिला कोटा। — प्रार्थी

बनाम

1. द्वारकालाल पुत्र बिरधा जाति किराड निवासी ग्राम जोगडी।
2. सत्यनारायण पुत्र द्वारकालाल जाति किराड निवासी ग्राम जोगडी।
3. मुकेश कुमार पुत्र द्वारकालाल जाति किराड निवासी ग्राम जोगडी।
4. दिनेश कुमार पुत्र द्वारकालाल जाति किराड निवासी ग्राम जोगडी।
5. सुमित्रा बाई पुत्री द्वारकालाल पत्नि रमेशचन्द जाति किराड निवासी गणेशपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड।
6. ममता बाई पुत्री द्वारकालाल पत्नि मुरारीलाल जाति किराड निवासी आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड।
7. केशरबाई पत्नि द्वारकालाल जाति किराड निवासी ग्राम जोगडी।
8. चतुर्भुज पुत्र गोपीलाल जाति किराड निवासी ग्राम जोगडी।
9. बजरंगलाल पुत्र गोपीलाल जाति किराड निवासी ग्राम जोगडी।
10. कल्याणी पुत्री गोपीलाल पत्नि बद्रीलाल जाति किराड निवासी उमरदा तहसील सांगोद।

— अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित :–

दिनांक :–

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील प्रार्थी)

श्री किशोरीलाल चौधरी (वकील अप्रार्थीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 6 के पिता एवं अप्रार्थी सं. 7 के पति अप्रार्थी सं. 1 तथा अप्रार्थी सं. 8 ता 10 के संयुक्त खाते की ग्राम गाडरवाडा पटवार क्षेत्र किशनपुरा तहसील सांगोद में ख.न. 19 की 1.50 है., ख.न. 232 की 0.85 है. कुल 2 किता की कुल 2.52 है. तथा अप्रार्थी सं. 1 के खाते की ग्राम गाडरवाडा पटवार क्षेत्र किशनपुरा तहसील सांगोद में ख.न. 17 की 0.36 है., ख.न. 18 की 0.40 है., ख.न. 41 की 0.53 है. कुल 3 किता की कुल 1.29 है. आराजी स्थित है।
- प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 6 की पैतृक संपत्ति है, जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 6 का जन्म से ही हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 2 ता 6 के साथ अप्रार्थी सं. 7 का भी बराबर का हिस्सा निहित है।
- प्रार्थी की माता भूलीबाई का लगभग 30 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है तथा प्रार्थी मृतक भूलीबाई व अप्रार्थी सं. 1 द्वारकालाल की संतान है। प्रार्थी की माता भूलीबाई का स्वर्गवास होने के बाद अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 7 केशरबाई से दूसरी शादी की है तथा अप्रार्थी सं. 2 ता 6 अप्रार्थी सं. 7 की संतानें हैं।
- प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 7 के बीच आज से लगभग 15–16 वर्ष पूर्व उक्त वर्णित आराजीयात को लेकर आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन हो जाने से प्रार्थी के हिस्से में माल ग्राम गाडरवाडा तहसील सांगोद की ख.न. 19 की 1.50 है. में से 0.32 है. उत्तरी तरफ की आराजी, ख.न. 232 की 0.85 है. में से 0.48 है. पश्चिमी तरफ की आराजी हिस्से में थी, जिस पर प्रार्थी लगातार 16 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी अपने परिवार सहित ग्राम जोगडा में निवास कर उसके हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी पर काबिज है।

Scanned with OKEN Scanner

- अप्रार्थी सं. 1 ता 7 जो प्रार्थी के परिवार के ही हैं, किन्तु प्रार्थी के भूलीबाई की संतान होने से आपसी ईर्ष्या करते रहते हैं तथा प्रार्थी के हिस्से में दी गई आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 उसके खाते हिस्से एवं कब्जे काश्त की विवादित आराजी को रहन, बैय, खुई–बुर्द कर देना चाहता है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है।
- ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में वाद पत्र के साथ ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि अप्रार्थी सं. 1 ता 7 उपरोक्त विवादित आराजीयात में से किसी भी आराजी को रहन, बैय, खुर्द–बुर्द करने का प्रयास नहीं करे। प्रार्थी को उसके हिस्से एंव कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं अप्रार्थी सं. 1 ता 7 करें और ना ही अपने किन्हीं नौकरों, एजेन्टों से ही करावें।
- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 7 व 10 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से एकतरफार कार्यवाही अमल में लाई गई। कई अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थीग सं 1 ता 6 एवं 8, 9 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः जवाब बंद किया गया। इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध स्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई षेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवष्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

Scanned with OKEN Scanner

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं, अप्रार्थी सं. 1 खातेदार है। प्रार्थी द्वारा रेकार्डेड खातेदार अप्रार्थी सं. 1 का विधिक वारिस होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित पैतृक आराजी में सत्व एवं अधिकार होना व्यक्त किया गया। उक्त तथ्य का निर्धारण मूल वाद में तनकीवार साक्ष्य लिया जाकर ही संभव है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन नहीं किया गया है। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पारिवारिक विभाजन अनुसार विवादित आराजी पर कब्जा काश्त होना व्यक्त किया गया है। उक्त तथ्य के खण्डन में अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य, गवाह, सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वर्तमान में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है।

) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अनुसार अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज विवादित आराजी पुश्तैनी है तथा अप्रार्थी सं. 1 का विधिक वारिस होने के कारण प्रार्थी के विवादित आराजी में जन्म से ही अधिकार सृजित हैं। उक्त तथ्य का निर्धारण मूल वाद में तनकीयार साक्ष्य लिया किया जाना संभव है। वर्तमान में यदि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवादित आराजी को स्वयं के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है।

प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर पर ही आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई स्थगन जारी किया हुआ है। अप्रार्थीगण की ओर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही किसी प्रकार की चाराजोई की गई है। इससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत हैं। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 का विधिक वारिस है अथवा नहीं, प्रार्थी विवादित आराजी में पारिवारिक विभाजन अनुसार प्राप्त आराजी का अधिकारी है अथवा नहीं आदि तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में किया जाना है। इस स्तर पर केवल यह देखना है कि प्रार्थी धारा 212 आर.टी.एक्ट हेतु आवश्यक मुख्य बिन्दूओं/शर्तों की पूर्ति करने में सफल हुआ अथवा नहीं।

-: आदेश :-

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर आदेश जारी किये जाते हैं कि -

अप्रार्थीगण को जरिये ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गाडरवाडा पटवार क्षेत्र किशनपुरा तहसील सांगोद में ख.न. 1 की 1.50 है., ख.न. 232 की 0.85 है. कुल 2 किता की कुल 2.52 है. तथा अप्रार्थी सं. 1 के खाते की ग्राम गाडरवाडा पटवार क्षेत्र किशनपुरा तहसील सांगोद में ख.न. 17 की 0.36 है ख.न. 18 की 0.40 है., ख.न. 41 की 0.53 है. कुल 3 किता की कुल 1.29 है. आराजी प

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट आदि से करावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 28-5-२०२५ को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner